Title: Need to enforce SEBI Regulations more effectively.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : महोदय, मैं सदन का ध्यान माननीय प्रधान मंत्री जी के भााण की ओर आकर्िात करना चाहता हूँ जो उन्होंने सेबी द्वारा आयोजित "निवेशक जागरूकता अभियान" के उद्‌घाटन के समय दिया था। इसमें उन्होंने कंपनियों की खराब कार्यप्रणाली और रेगुलेटर्स की कमियों को दोाी ठहराया था जिसके कारण पूँजी बाज़ार में छोटे निवेशकों का विश्वास उठ गया है।

फिक्की के एक समारोह में सितम्बर 1998 में भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोाणा की थी

कि उन्होंने वित्त मंत्रालय को आदेश दे दिये हैं कि धोखेबाज़ कंपनियों के प्रमोटरों के विरुद्ध तीन माह के अंदर कठोर कार्रवाई की जाए।

लेकिन आज तक एक भी प्रमोटर या डायरैक्टर को पकड़ा नहीं गया है और न ही दस हजार करोड़ रुपये में से एक भी रुपया बरामद किया गया। भविय में ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए सेबी एक्ट में प्रभावपूर्ण संशोधन भी नहीं किये गये हैं।

इनवैस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के कोा का समयबद्ध व सही तरीके से संचालन नहीं किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इन सभी मामलों में तुरंत उचित कार्र वाई सुनिश्चित की जाए।